

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 789 सन 2019

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जयकौरी पत्नि बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तलाल 4 विजयपाल पुत्रगण बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुशीला 6 सन्जु पुत्रीयान बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. धर्मपाल उर्फ पालाराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. कमला पत्नी धर्मपाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सुशील 10 अनिल पुत्रगण धर्मपाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. पूर्णराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सरिता पत्नी पूर्णराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. अभिनव 14 आस्था नाबालिग पुत्र पुत्री पूर्णराम जरिये सरंक्षिका माता सरिता पत्नी पूर्णराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. भीमसैन उर्फ भीमराज पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. सुशील कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. भगवन्ती पत्नी रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
18. मन्जू 19. निलम पुत्रिया रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. गोमती पत्नि सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. बलदेवराज पुत्र सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 03/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खता संख्या 66/119 की कुल 8.3470हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,7,11 बहिब 4/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15,16 का बहिब 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 67/120 की कुल 7.7140हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1,7,11 का बहिब 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 का 1/180हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15,16 का 13/90 हिस्सा व खाता संख्या 70/60 की कुल 2.1500हैक भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2,8,12,17 व 20 बहिब तथा खाता संख्या 71/64 की कुल 2.2770हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 11,17 का बहिब 0.6073हैक व खाता संख्या 72/62 की कुल 8.5990हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1,7,11 बहिब 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 बहिब 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 73/63 की कुल 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 का बहिब व खाता संख्या 134/82 के प0न0 361/386(25) के किला न0 8 ता 13/1.518

संख्या 1, 7, 11, एवं रामस्वरूप पुत्र हुए जिनके नाम से वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के जायज व वारिसान प्रतिवादी संख्या 20, 21 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 9, 10 पुत्र है प्रतिवादी संख्या 11 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 13, 14 पुत्र/पुत्री है तथा हजारीराम के मृतक पुत्र रामस्वरूप के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 15, 16 पुत्र प्रतिवादी संख्या 17 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 18, 19 पत्नि है इस प्रकार हजारीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है।

अर्थात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके नाम वाद भूमि उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6, 18, 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पिता/माता के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5, 6, 18, 19 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 15 ता 17 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 ता 13, 15 ता 17, 20, 21 के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 ता 13, 15 ता 17, 20, 21 एक ही पूर्वज की सन्तान है अर्थात् एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अपनी काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है एक ही परिवार के सदस्य अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 स्वयं उपस्थित होकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 बाहमी बटवारा से पूर्णतया सहमत है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 18, 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 355/386(19) के किला न0 9/0.253, 10/0.253, 12 मिन उत्तर की 0.127हैक् कुल 0.6330हैक् भूमि व प0न0 358/387(40) किला न0 11/0.2530, 20/0.2530, 21/2 की 0.126हैक् कुल 0.6320हैक् प0न0 357/386(21) के किला न0 6 ता 15 प्रत्येक 0.2530हैक् 17/0.2280, 18/0.2270, 19/0.2280, 20/0.2270, 21 ता 24 प्रत्येक 0.2530, 25/0.2270, कुल 4.6790हैक् व प0न0 358/386(22) के किला न0 21, 22/0.506हैक्, प0न0 358/387(40) किला न0 1, 2, 9, 10, 12 प्रत्येक 0.2530हैक् कुल 1.2650हैक् व मु0न0 70/21 किला न0 0/2 की 0.0127हैक् गै0मु0 खाला कुल 7.842हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 बहिब 19/20 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/20 हिस्सा रहेगा। प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 359/385(10) के किला न0 16, 17, 24, 25/प्रत्येक 0.2530हैक् प0न0 360/386(24) किला न0 1/0.2530, प0न0 357/387(41) किला न0 15/0.228, 16/0.227, 25/0.228, कुल 0.6830हैक् प0न0 357/388(51) किला न0 4/0.2530, 5/0.228, 7/0.215, कुल 0.6960हैक् प0न0 0 मु0न0

शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 22 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से मुश्तरका खाता में अलग अलग खातों में दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में हजारीराम वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके पाच पुत्र सुभाषचन्द, बुधराम, धर्मपाल उर्फ पालराम, पूर्णराम व रामस्वरूप हुए जिनमें से रामस्वरूप का देहान्त हो चुका है अर्थात् हजारी के वादी प्रतिवादी संख्या 1, 7, 11, एवं रामस्वरूप पुत्र हुए जिनके नाम से वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के जायज व वारिसान प्रतिवादी संख्या 20, 21 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 3 का पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 9, 10 पुत्र है प्रतिवादी संख्या 11 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 13, 14 पुत्र/पुत्री है तथा हजारीराम के मृतक पुत्र रामस्वरूप के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 15, 16 पुत्र प्रतिवादी संख्या 17 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 18, 19 पत्नि है इस प्रकार हजारीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 है।

प्रतिवादी संख्या 5, 6, 14, 18, 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो /पिता/माता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 ता 13, 15 ता 17, 20 के हक हिस्सा की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 ता 13, 15 ता 17, 20 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से अलग अलग खातों में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में अनुसार वाद भूमि वादी के पिता हजारीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों एवं मृतक पुत्र रामस्वरूप के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् वाद भूमि पूर्व में हजारीराम वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके पाच पुत्र सुभाषचन्द, बुधराम, धर्मपाल उर्फ पालराम, पूर्णराम व रामस्वरूप हुए जिनमें से रामस्वरूप का देहान्त हो चुका है अर्थात् हजारी के वादी प्रतिवादी

360/387(38) किला न० 19 ता 22/1.012 , प०न० 359/387 (39) किला न० 14 ता 17/1.012 , 24 , 25/0.506 , प०न० 359/388(53) किला न० 4 , 5/0.506 , प०न० 360/388(54) किला न० 1/0.253 , 70/16 की 0.075 , गै०मु० खाला प०न० 0 मु०न० 70/32 के किला न० 0/1 की 0.051 है व गै०मु० खाला व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 115/104 की कुल 3.2890 है व भूमि में वादी 1 , 7 , 11 का बहिब 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 , 16 का 1/5 हिस्सा दर 1/3 हिस्सा बहिब रव रामस्वरूप बुधराम का बहिब 2/3 हिस्सा खाता संख्या 100/88 की कुल 3.2890 है व भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 7 , 11 बहिब वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में हजारीराम वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके पाच पुत्र सुभाषचन्द्र , बुधराम , धर्मपाल उर्फ पालराम , पूर्णराम व रामस्वरूप हुए जिनमें से रामस्वरूप का देहान्त हो चुका है अर्थात् हजारी के वादी प्रतिवादी संख्या 1 , 7 , 11 , एवं रामस्वरूप पुत्र हुए जिनके नाम से वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के जायज व वारिसान प्रतिवादी संख्या 20 , 21 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 9 , 10 पुत्र है प्रतिवादी संख्या 11 के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 13 , 14 पुत्र/पुत्री है तथा हजारीराम के मृतक पुत्र रामस्वरूप के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 , 16 पुत्र/पुत्री है तथा हजारीराम के मृतक पुत्र रामस्वरूप के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 17 , 18 पुत्र/पुत्री है तथा हजारीराम के मृतक पुत्र रामस्वरूप के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 पत्नि है। इस प्रकार हजारीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 है।

प्रतिवादी संख्या 5 , 6 , 14 , 18 , 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो /पिता/माता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 13 , 15 ता 17 , 20 के हक हिस्सा की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 13 , 15 ता 17 , 20 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।


वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 13 , 15 ता 17 , 20 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हजारीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 5 , 6 , 18 , 19 निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 5 , 6 जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की पुत्री/बहन है व प्रतिवादी संख्या 18 , 19 जो प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 की बहन/पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पिता /माता के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 10 , 11 ता 13 , 15 ता 17 , 20 , 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसके उनके बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर

5/0.2530 हैक प0न0 360/386(24) किला न0 1/0.2530 ,प0न0 357/387(41) किला न0 15/0.228 ,16/.227 ,25/0.228 ,कुल 0.6830 हैक प0न0 357/388(51) किला न0 4/0.2530 ,5/0.228 ,7/0.215 ,कुल 0.6960 हैक प0न0 0 मु0न0 70/26 के किला न0 0 की 0.1390 हैक गै0मु0 खाला व प0न0 357/387(41) के किला न0 2 ता 4 ,7 ता 9 प्रत्येक 0.2530 हैक 5/0.227 ,6/0.227 ,कुल 1.9720 हैक प0न0 361/386(25) के किला न0 8 ता 13/1.518 हैक , 18/0.228 ,19/0.227 ,20/.228 ,21 ता 23/0.759 हैक कुल 2.950 हैक प0न0 70/16 के किला न0 0 की 0.075 हैक गै0मु0 खाला कुल 8.093 हैक में से प्रतिवादी संख्या 7 ,9 ,10 का 19/20 बहिब हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 8 का 1/20 हिस्सा भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 115/104 के कुल 3.2890 हैक व खाता संख्या 100/88 की कुल 3.2890 हैक भूमि बहिब रहेगी। प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 359/385 (10) के किला न0 1/0.227 ,2/.228 ,3/0.227 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.2530 हैक 19 ता 22/0.2530 , प0न0 359/386(23) के किला न0 1 मिन दक्षिण 0.240 हैक बारानी 2 मिन दक्षिण 0.240 हैक बारानी 3 मिन दक्षिण 0.240 हैक नहरी व 1 मिन उत्तर 0.0130 हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 की मु0न0 73/12 किला न0 0 की 0.0760 हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 355/385(14) किला न0 18 ,19 ,22 ,23 प्रत्येक 0.2530 हैक प0न0 355/386(19) के किला न0 1 मिन उत्तर 0.214 हैक नहरी 2 मिन उत्तर 0.215 हैक नहरी व 1 मिन दक्षिण 0.0130 हैक गै0मु0 रास्ता 2 मिन दक्षिण 0.0130 हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 70/32 के किला न0 0/1 की 0.051 हैक गै0मु0 खाला व प0न0 359/387 (39) के किला न0 5/2 की 0.0130 हैक 6/1 की 0.240 हैक प0न0 360/387 (38) के किला न0 19 ता 22 /1.012 हैक प0न0 359/387(39) के किला न0 14 ता 17 /1.012 हैक 24 ,25/0.506 हैक , प0न0 359/388(53) के किला न0 4 ,5/0.506 हैक , प0न0 360/388 (54) के किला न0 1/0.2530 हैक कुल 9.613 हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 17 भगवन्ती का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 ,15 ,16 का 4/5 हिस्सा रहेगी प्रतिवादी संख्या 20 ,21- रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 359/385(10) के किला न0 18/.2530 ,23/.2530 ,प0न0 359/386(23) किला न0 4 मिन दक्षिण पूर्वी 0.2517 हैक बारानी 4 मिन उत्तरी पश्चिमी कौना 0.0013 हैक गै0मु0 रास्ता व प0न0 356/387(42) किला न0 1/0.2530 हैक 10/0.2530 हैक प0न0 355/387(43) किला न0 3 ता 6/1.012 हैक प0न0 355/385(14) किला न0 16 ,17 ,24 ,25/प्रत्येक 0.2530 हैक प0न0 356/385(13) किला न0 20/2 की 0.0630 हैक 21/2 की 0.0630 हैक प0न0 355/386(19) किला न0 3/0.227 ,4/0.228 ,5/0.228 ,6 ता 8/0.759 ,12 मिन दक्षिण 0.126 हैक किला न0 13 ता 19/1.771 हैक 22 ता 25/1.012 हैक व प0न0 70/32 किला न0 0/1 की 0.075 हैक गै0मु0 खाला कुल 7.841 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 20 ,21 बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
 अनुप्रास अधिकारी (राजस्व)  
 नोहर ( हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 बुधराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 जयकौरी पत्नि बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3 सन्तलाल 4 विजयपाल पुत्रगण बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 5 सुशीला 6 सन्जु पुत्रीयान बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. धर्मपाल उर्फ पालाराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. कमला पत्नी धर्मपाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सुशील 10 अनिल पुत्रगण धर्मपाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. पूर्णराम पुत्र हजारीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. सरिता पत्नी पूर्णराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
- 13 अभिनव 14 आस्था नाबालिग पुत्र पुत्री पूर्णराम जरिये सरक्षिका माता सरिता पत्नी पूर्णराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. भीमसैन उर्फ भीमराज पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
16. सुशील कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
17. भगवन्ती पत्नी रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
- 18 मन्जू 19. निलम पुत्रिया रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. गोमती पत्नि सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
21. बलदेवराज पुत्र सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 789 सन 2019 निर्णय दिनांक-03/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 355/386(19) के किला न0 9/0.253 ,10/0.253 ,12 मिन उत्तर की 0.127हैक कुल 0.6330हैक भूमि व प0न0 358/387(40) किला न0 11/0.2530 ,20/0.2530 ,21/2 की 0.126हैक कुल 0.6320हैक प0न0 357/386(21) के किला न0 6 ता 15 प्रत्येक 0.2530हैक 17/0.2280 ,18/0.2270 ,19/0.2280 ,20/0.2270 ,21 ता 24 प्रत्येक 0.2530 , 25/0.2270 ,कुल 4.6790हैक व प0न0 358/386(22) के किला न0 21 ,22/0.506हैक , प0न0 358/387(40) किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ,12 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.2650हैक व मु0न0 70/21 किला न0 0/2 की 0.0127हैक गै0मु0 खाला कुल 7.842हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 बहिब 19/20 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/20 हिस्सा रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 359/385(10) के किला न0 16 ,17 ,24 ,25/प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.012है प0न0 359/386(23) किला न0

2530 ,5/0.228 ,7/0.215 ,कुल 0.6960हैक प0न0 0 मु0न0 70/26 के किला न0 0 की 0.1390हैक गै0मु0 खाला व प0न0 357/387(41) के किला न0 2 ता 4 ,7 ता 9 प्रत्येक 0.2530हैक 5/0.227 ,6/0.227 ,कुल 1.9720हैक प0न0 361/386(25) के किला न0 8 ता 13/1.518हैक , 18/0.228 ,19/0.227 ,20/.228 ,21 ता 23/0.759हैक कुल 2.950हैक प0न0 70/16 के किला न0 0 की 0.075हैक गै0मु0 खाला कुल 8.093हैक में से प्रतिवादी संख्या 7 ,9 ,10 का 19/20 बहिब हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 8 का 1/20 हिस्सा भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 रोही मौजा चक 5 बी बरानी के खाता संख्या 115/104 के कुल 3.2890हैक व खाता संख्या 100/88 की कुल 3.2890हैक भूमि बहिब रहेगी। प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0 359/385 (10) के किला न0 1/0.227 ,2/.228 ,3/0.227 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक 19 ता 22/0.2530 , प0न0 359/386(23) के किला न0 1 मिन दक्षिण 0.240हैक बरानी 2 मिन दक्षिण 0.240हैक बरानी 3 मिन दक्षिण 0.240हैक नहरी व 1 मिन उत्तर 0.0130हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 की मु0न0 73/12 किला न0 0 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 355/385(14) किला न0 18 ,19 ,22 ,23 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 355/386(19) के किला न0 1 मिन उत्तर 0.214हैक नहरी 2 मिन उत्तर 0.215हैक नहरी व 1 मिन दक्षिण 0.0130हैक गै0मु0 रास्ता 2 मिन दक्षिण 0.0130हैक गै0मु0रास्ता प0न0 0 मु0न0 70/32 के किला न0 0/1 की 0.051हैक गै0मु0 खाला व प0न0 359/387 (39) के किला न0 5/2 की 0.0130हैक 6/1 की 0.240हैक प0न0 360/387 (38) के किला न0 19 ता 22 /1.012हैक प0न0 359/387(39) के किला न0 14 ता 17 /1.012हैक 24 ,25/0.506हैक , प0न0 359/388(53) के किला न0 4 ,5/0.506हैक , प0न0 360/388 (54) के किला न0 1/0.2530हैक कुल 9.613हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 17 भगवन्ती का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 ,15 ,16 का 4/5 हिस्सा रहेगी प्रतिवादी संख्या 20 ,21— रोही मौजा चक 8 जेएसएन के प0न0359/385(10) के किला न0 18/.2530 ,23/.2530 ,प0न0 359/386(23) किला न0 4 मिन दक्षिण पूर्वी 0.2517हैक बरानी 4 मिन उत्तरी पश्चिमी कौना 0.0013हैक गै0मु0रास्ता व प0न0 356/387(42) किला न0 1/0.2530हैक 10/0.2530हैक प0न0 355/387(43) किला न0 3 ता 6/1.012हैक प0न0 355/385(14) किला न0 16 ,17 ,24 ,25/प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 356/385(13) किला न0 20/2 की 0.0630हैक 21/2 की 0.0630हैक प0न0 355/386(19) किला न0 3/0.227 ,4/0.228 ,5/0.228 ,6 ता 8/0.759 ,12 मिन दक्षिण 0.126हैक किला न0 13 ता 19/1.771हैक 22 ता 25/1.012हैक व प0न0 70/32 किला न0 0/1 की 0.075हैक गै0मु0 खाला कुल 7.841हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 20 ,21 बहिब खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टांप तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
 अधीक्षक (राजस्व )  
 नोहर (बहेमुमानगढ़ )